काम की आज़ादी

(चर्चा के लिए साझा मंच द्वारा तैयार किया गया मसौदा)

काम की आज़ादी

भारत के संविधान की धारा 41 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर, लोगों को ''काम का अधिकार'' देने का प्रावधान करेगी। ओल्गा टेलिस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ''काम के अधिकार'' को संविधान की धारा 21 के तहत 'जीने के अधिकार' का अभिन्न हिस्सा माना है।

'काम के अधिकार' में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- काम मुहैया कराने की सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी।
- सभी श्रमिक अपने हुनर के मुताबिक सार्थक रूप से अपना काम कर सकें – इसको सुरक्षित करने वाला कानून।
- नौकरी से निकाले गए श्रमिकों का मुआवजा देने वाला कानून।
- गलत तरीके से काम छीनने एवं श्रमिकों को पूरे श्रम अधिकार न देने वाले व्यवहार को रोकने के लिए कानून।
- एकाधिकारी यूनियन के खिलाफ एक व्यक्तिगत श्रमिक को सुरक्षा।
- कमज़ोर हिस्सों को भुगतान एवं अवसर की समानता।
- महिलाओं का काम करने और/या अपने पति की कमाई से हिस्सा लेने का अधिकार।
- स्व–रोज़गार में लिप्त लोगों को अपना काम करते रहने का पूरा अधिकार।
- बच्चों एवं वृद्ध लोगों का काम के लिए मना करने का अधिकार।
- विकलांगों के अधिकार, और।
- गैर–कानूनी, कम पैसा देने वाले या खतरनाक हालातों में काम करने से मना करने का अधिकार।

प्रस्तावित 'काम की आज़ादी अधिनियम' में यह पहचान करना ज़रूरी है कि समाज में वर्तमान में किस–किस तरह का काम मौजूद है। यह काम किन हालातों में होता है और अलग–अलग तरह के श्रमिकों को कितने वेतन पर एवं किस तरह के हालातों में काम करना पड़ता है। इस अधिनियम को सभी तरह के क्षेत्रों में मौजूद सभी तरह के कामों का एकीकरण करने में सक्षम होना पड़ेगा।

वर्तमान में, काम मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में बटां हुआ है। – औपचारिक, अनौपचारिक एवं अनधिकृत। औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की संगठित ताकत के चलते ज़्यादातर श्रम कानूनों का पालन होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का धड़ल्ले से उल्लघन होता है और श्रमिक संगठन के अभाव में मालिक से अपनी मांगे नहीं मनवा पाते हैं अनधिकृत क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम स्तर पर भी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है क्योंकि वे जो काम करते हैं उस काम को ही अनधिकृत माना जाता है।

प्रस्तावित अधिनियम के तहत इन तीनों क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए।

औपचारिक क्षेत्र

- श्रम कानूनो में सुधार इस तरह का होना चाहिए कि सभी श्रमिकों का संगठित होने एवं काम के बेहतर हालात हासिल करके की ज़्यादा आज़ादी मिल सके।

- निवेश एवं रोज़गार सृजन के बीच एक निश्चित अनुपात तय किया जाए। यानि किसी भी तरह के पूंजी निवेश को सामाजिक रूप से उपयोगी तभी माना जाए जब उससे एक निश्चित संख्या में रोज़गार पैदा हो।
- किसी भी श्रमिक को काम से निकालने से पहले मालिक एक त्रिपक्षीय समिति के सामने यह साबित करे कि श्रमिक को निकालना क्यों ज़रूरी है। काम से निकाले जाने की स्थिति में श्रमिक को उचित मुआवजा दिया जाए।

- काम का सुरक्षित होना न सिर्फ श्रमिकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए फैक्टरी के अंदर एवं बाहर दोनो जगह पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। काम को सुरक्षित बनाने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से मालिक एवं रेगुलेटरी बॉडी की हो। इस बॉडी में श्रमिक एवं उनके परिवारजन, उपभोक्ता, नागरिकों एवं निष्पक्ष शोधकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

- औपचारिक क्षेत्र में और अधिक काम कैसे पैदा हो इसकी योजना बननी चाहिए। इस योजना–निर्माण में भाावी श्रमिकों को श्रमिक समतियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

अनौपचारिक क्षेत्र

- अनौपचारिक क्षेत्र के सभी श्रमिकों को श्रम कानूनो ंकी मुकम्मल सुरक्षा मिल सके इसके लिए जरूरी है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे इन श्रमिकों का संगठन बनाने में साहूलियत हो।

- इस क्षेत्र के सभी श्रमिकों को कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे उनके परिवार की भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी ज़रूरतों की पूर्ति हो सके।

- यदि सरकार श्रमिकों को उपरोक्त न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति करने वाला काम मुहैया कराने में असक्षम या अनिच्छुक है तो ऐसे श्रमिको ंको बेरोज़गारी भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा दिया जाए।

- इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्व–रोज़गार में लिप्त लोग शामिल है। इन लोगों के रोज़गार को सुरक्षित बनाने के लिए इन्हें अपना काम करने के लिए औपचारिक जगह एवं आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके लिए श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को योजना निर्माण में भागीदारी मिलनी चाहिए।

- भविष्य में उभरने वाले कामों को पहचानकर पूर्व तैयारी करना ज़रूरी है। इसके लिए श्रमिकों के हुनर को बेहतर बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने एवं उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

अनधिकृत क्षेत्र

- ऐसे तमाम जोनिंग कानून एवं नियम जो ''पर्यावरण'', ''संरक्षण'', ''सुरक्षा'' या ''भीड़–भाड़'' के नाम पर लोगों को काम करने से रोकते हैं या काम से विस्थापित करते हैं, उन्हें तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।

- इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ''गैरकानूनी'' बताने वाले तमाम विचारों को खारिज किया जाए।

- महिला श्रमिको को यौन उत्पीड़त से बचाने एवं महिलाओ ंव बच्चों को शोषण से बचाने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। प्रस्तावित अधिनियम के तहत महिलाओं को तमाम क्षेत्रों में मुकम्मल आज़ादी एवं समानता होनी चाहिए।

गवर्नेंस

प्रस्तावित अधिनियम का कार्यांवन तभी हो सकता है जब श्रमिकों एवं उनके परिवारों को गवर्नेंस में भागीदारी हो। यह भागीदारी सुनिश्चित करने के लिएः

- संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत आम सभाओं एवं मौहल्ला स्तर (100 परिवार) पर समितियों का गठन किया जाए।
- मास्टर प्लान एवं ''विकास योजनाओं'' में श्रमिकों की सीधी भागीदारी का प्रावधान किया जाए।
- सूचना के अधिकार को निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाए।
- रोज़गार पैदा करने, बचाने एवं बढ़ाने के लिए मालिकों, योजनाकारों और प्रशासकों की सीधी ज़िम्मेदारी तय की जाए। ज़िम्मेदारी नहीं निभाने पर दण्ड का भी प्रावधान हो।